स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
का
सांगठनात्मक चार्ट

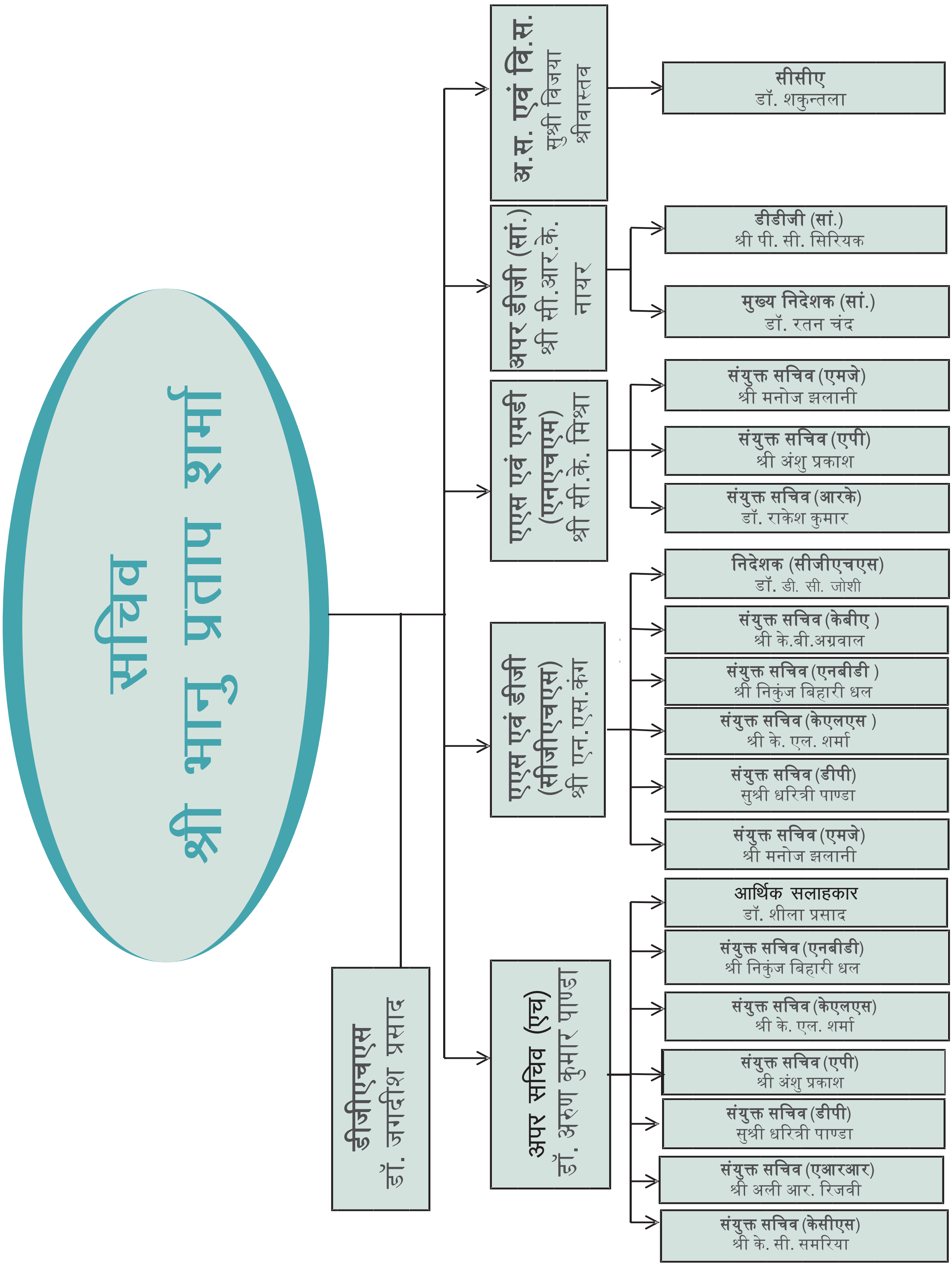
सचिव
श्री भानु प्रताप शर्मा
डीजीएचएस
डॉ. जगदीश प्रसाद
अ.स. एवं वि.स.
सुश्री विजया श्रीवास्तव
सीसीए
डॉ. शकुन्तला
अपर डीजी (सां.)
श्री सी.आर.के. नायर
डीडीजी (सां.)
श्री पी. सी. सिरियक
मुख्य निदेशक (सां.)
डॉ. रतन चंद
एएस एवं एमडी (एनएचएम)
श्री सी.के. मिश्रा
संयुक्त सचिव (एमजे)
श्री मनोज झलानी
संयुक्त सचिव (एपी)
श्री अंशु प्रकाश
संयुक्त सचिव (आरके)
डॉ. राकेश कुमार
एएस एवं डीजी (सीजीएचएस)
श्री एन.एस.कंग
निदेशक (सीजीएचएस)
डॉ. डी. सी. जोशी
संयुक्त सचिव (केबीए)
श्री के.बी.अग्रवाल
संयुक्त सचिव (एनबीडी)
श्री निकुंज बिहारी धल
संयुक्त सचिव (केएलएस)
श्री के. एल. शर्मा
संयुक्त सचिव (डीपी)
सुश्री धरित्री पाण्डा
संयुक्त सचिव (एमजे)
श्री मनोज झलानी
अपर सचिव (एच)
डॉ. अरुण कुमार पाण्डा
आर्थिक सलाहकार
डॉ. शीला प्रसाद
संयुक्त सचिव (एनबीडी)
श्री निकुंज बिहारी धल
संयुक्त सचिव (केएलएस)
श्री के. एल. शर्मा
संयुक्त सचिव (एपी)
श्री अंशु प्रकाश
संयुक्त सचिव (डीपी)
सुश्री धरित्री पाण्डा
संयुक्त सचिव (एआरआर)
श्री अली आर. रिजवी
संयुक्त सचिव (केसीएस)
श्री के. सी. समरिया

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का संगठनात्मक चार्ट

(प्रशासनिक एवं एमई विंग)
(2 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार)

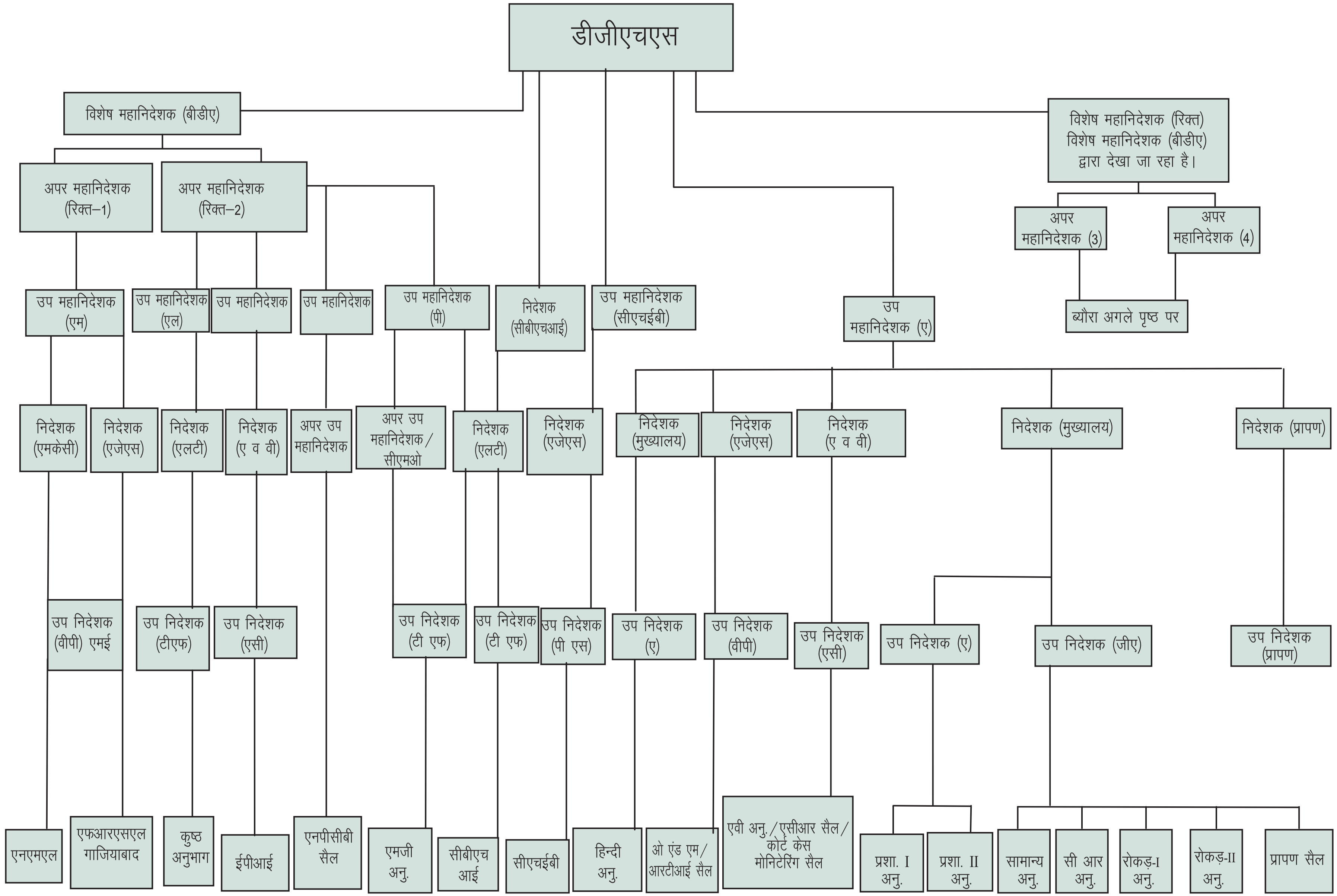

– जारी –

-2-

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का संगठनात्मक चार्ट

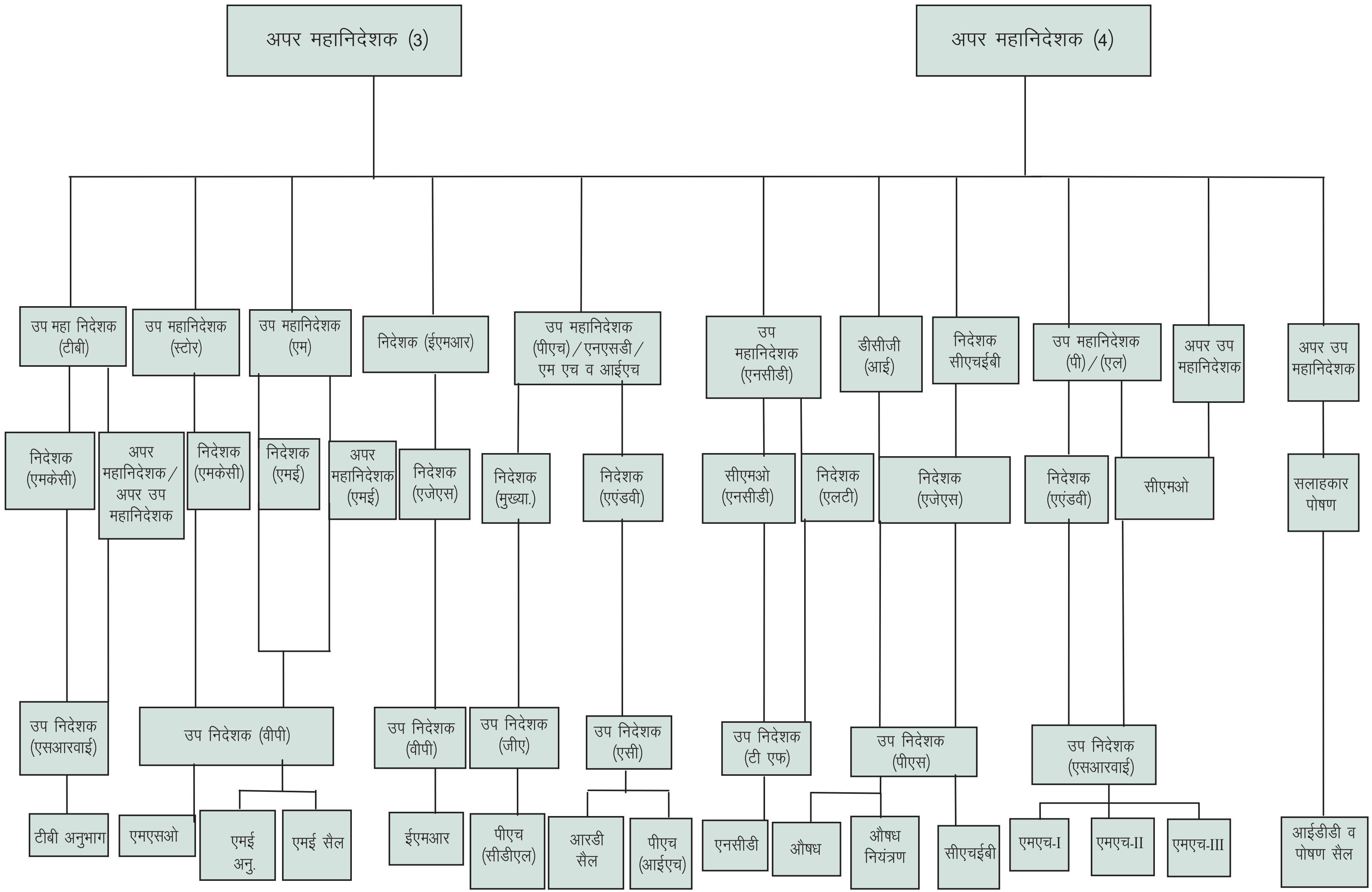

लेखापरीक्षा अवलोकन

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार

मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की सर्वाधिक अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्टों में निहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

1. संघ सरकार की 2014 की रिपोर्ट सं. 25 (सिविल)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	
सरकारी अस्पतालों में बायो–मेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले आठ सरकारी अस्पतालों (चार दिल्ली में और चार दिल्ली से बाहर) की 2010–11 से 2012–13 की समयावधि के रिकार्डों की इन अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, उपचार, हैंडलिंग और निपटान के संबंध में नियमों के अनुपालन की जांच की गई थी। जांच परिणाम निम्न प्रकार से है : **पैराग्राफ़ 7.1** 7.1.3 सामान्य टिप्पणियाँ 7.1.3.1 अपशिष्ट का वर्गीकरण 7.1.3.2 बायो–मेडिकल अपशिष्ट के निपटान हेतु थैलों की कमी 7.1.3.3 भंडारण और परिवहन 7.1.4 श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा 7.1.5 पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ 7.1.5.1 उपचार एवं निपटान 7.1.6 बायो–मेडिकल (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) के अंतर्गत ऑथोराईजेशन नियम, 1998

	7.1.6.1 अस्पतालों में बायो–मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की अपर्याप्त आंतरिक निगरानी 7.1.7 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण से संबन्धित रिकार्डों का उनुचित रखरखाव। 7.1.8 अन्य मुद्दे 7.1.8.1 दिल्ली में सामान्य बायो–मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधाओं (सीपीडब्ल्यूडीएफ) द्वारा अधिक दरों पर सेवाएं प्रदान किया जाना। 7.1.8.2 एनईजीआरआईएचएमएस, शिलांग में ऑटोक्लेव तथा श्रेडर की अनुपलब्धता 7.1.8.3 भस्मक के संस्थापन में विलंब
राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान– अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल के निर्माण में अत्यधिक देरी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल के निर्माण का कार्य हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कार्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड को अप्रैल, 2008 में सौंपा था। अप्रैल 2013 तक 2.80 करोड़ रु. का भुगतान कर दिए जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप अग्रिम भुगतान किए जाने का कोई लाभ नहीं हुआ और समय तथा लागत बहुत अधिक बढ़ गए। **पैराग्राफ़ 7.2**
सफदरजंग अस्पताल–जल–प्रभारों पर छूट का लाभ न लिया जाना	सफदरजंग अस्पताल में 21 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टमों के कार्य करने के बावजूद, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दिए गए पानी के बिलों पर 10 प्रतिशत की पात्र छूट नहीं ले सका। परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को किए गए 59.04 लाख की राशि का भुगतान करना पड़ा जिससे बचा जा सकता था। **पैराग्राफ़ 7.3**
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़– आवासीय स्थान के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली – 1.57 करोड़ रु.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ केंद्र सरकार की दरों के बजाय संघ राज्य क्षेत्र के पैटर्न के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली कर रहा था, परिणामतः 1.57 करोड़ रु. की कम वसूली हुई। **पैराग्राफ़ 7.4**